

**अनुमंडल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार**

स्वत्व विभाजन वाद संख्य-04/18

सन्तोष राय एवम अन्य बनाम सुर्य प्रकाश सिंह एवम अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
19/01/24	<p>वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। प्रतिवादी गण की कोड़ पैरवी नहीं है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत दिनांक 12/12/23 के आ.22 नि.4 दिवानी प्रक्रिया संहिता के आवेदन पर प्रतिउत्तर हेतु नियत है। पृकार पर वादी पक्ष उपस्थित हुए प्रतिवादी अनुपस्थित जिस कारण से प्रतिवादी को प्रतिउत्तर से वंचित कर वादी को सुना। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या 1 सुर्य प्रकाश सिंह की मृत्यु को हो गई है जिसकी सूचना प्रतिवादी के द्वारा नहीं दिया गया है। प्रतिवादी सं.1 के विधिक वारिसान वाद मे पूर्व से ही पक्षकार हैं। अतः विनम्र निवेदन है कि वादपत्र से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित करने की कृपा की जाए।</p> <p>प्रतिवादिगण की ओर से आपत्ति नहीं व्यक्त किया गया है।</p> <p>वादी पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद के प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो गई है। वाद के प्रभावी एवम न्यायपूर्ण निराकरण के लिए वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदक को न्याय हित में स्वीकृत कर वाद से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की तिथि से 14 दिन के भीतर वादपत्र में संशोधन करें।</p> <p>वाद आगामी दिनांक 20/02/24 उपस्थिति हेतु नियत।</p> <p>लेखापित-</p> <p>असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी पूर्णिया ,बिहार</p>	